

# समाहरणालय, जहानाबाद

( जिला राजस्व शाखा )

पत्रांक— XII-12 / 19.....रा0,

फोन न0:—06114—223001, 223004

दिनांक— वीं अप्रैल 2019

फैक्स न0:—06114—223142

ई-मेल:—dm-jehanabad.bih@nic.in

प्रेषक,

समाहर्ता,  
जहानाबाद।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सर्मक विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:—

जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद, काको, घोषी, मोदनगंज, रतनी फरीदपुर एवं हुलासगंज अंचल के हाट/बाजार/मेला (सैरात) की बंदोबस्ती वर्ष 2019-20 के लिए विज्ञप्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद, काको, घोषी, मोदनगंज, रतनी फरीदपुर एवं हुलासगंज अंचल के हाट/बाजार/मेला (सैरात) की बंदोबस्ती वर्ष 2019-20 के लिए सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। सैरातों की बंदोबस्ती के संबंध में निर्वाचन विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक-1764 दिनांक-20.03.2019 से विहित प्रक्रिया के अनुसार सैरातों की बंदोबस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई है।

अतः दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए सूचना की 5 (पाँच) प्रति सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि दो स्थानीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सैरात बंदोबस्ती के लिए सूचना का प्रकाशन तुरंत कराने की कृपा की जाय।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

समाहर्ता, जहानाबाद।

ज्ञापांक— XII-12 / 19-623 / रा0, जहानाबाद दिनांक—28 वीं अप्रैल 2019

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

आयुक्त मगध प्रमंडल, गया की सेवा में सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।  
सभी समाहर्ता, बिहार राज्य को सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।  
आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद को सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।  
अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को उनके पत्रांक-208/रा0, दिनांक-27.04.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
जिला जन सर्मक पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि जन सर्मक निदेशालय से सर्मक कर अविलम्ब दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।  
सभी अंचल अधिकारी जिला जहानाबाद को सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इस बंदोबस्ती की सूचना से सभी मुखियागण को अवगत करावेंगे एवं व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे।  
आई0टी0 मैनेजर समाहरणालय, जहानाबाद को सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता, जहानाबाद।

